

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1923  
दिनांक 06.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन उद्योग में पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी प्रशासक

1923. श्री विद्युत बरन महतो:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है कि भारत में रासायनिक संयंत्र और उर्वरक विनिर्माण इकाइयां पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करें और प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित हों;
- (ख) क्या सरकार विशेषकर ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों, जहां कृषि और जल संसाधन पर्यावरणीय गुणवत्ता पर अत्यधिक निर्भर हैं, में खतरनाक रासायनिक रिसाव अथवा उनके फैलने के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या झारखंड और राजस्थान में विशेषकर कृषि के संदर्भ में हरित रसायन को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों को विकसित करने के लिए कोई पहल कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए हैं कि भारत में रासायनिक संयंत्र और उर्वरक विनिर्माण इकाइयाँ पर्यावरण नियमों का पालन करें और प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों से लैस हों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न प्रदूषकों के लिए पर्यावरण मानक निर्धारित किए हैं। रासायनिक और उर्वरक संयंत्रों सहित सभी औद्योगिक इकाइयों को वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन मानकों का पालन करना आवश्यक है।

बनाए गए विभिन्न पर्यावरण विनियम निम्नानुसार हैं:

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में अधिदेश है कि रासायनिक और उर्वरक विनिर्माण इकाइयों सहित कोई भी परियोजना या गतिविधि, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने की संभावना है, को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्राप्त करने से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) से गुजरना होगा और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी।
- प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत परिचालन हेतु सहमति (सीटीओ) प्राप्त करना भी आवश्यक है।
- श्रेणी 'क' परियोजनाओं के लिए ईसी शर्तों के अनुपालन की निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है और श्रेणी 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा की जाती है। इसी तरह, सीटीओ शर्तों के अनुपालन की निगरानी संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा की जाती है। यह बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उद्योग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से काम करें।
- **परिसंकटमय रसायन सुरक्षा विनियम:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 (संशोधित) और रासायनिक दुर्घटना (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम, 1996 (सीईपीपीआर नियम, 1996) (संशोधित) प्रशासित करता है। ये नियम औद्योगिक परिचालन में रासायनिक सुरक्षा के लिए निवारक तंत्र स्थापित करते हैं। प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के अधिभोगियों को वार्षिक सुरक्षा ऑडिट करने और अपनी सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट को अपडेट करना अपेक्षित है। उन्हें ऑन-साइट आपातकालीन योजना भी अवश्य तैयार और अपडेट करनी चाहिए।
- **ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाएँ:** एमएसआईएचसी नियम, 1989 प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर या नामित जिला आपातकाल प्राधिकारी (डीईए) को ऑफ-साइट आपातकाल योजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत नियुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ) इन योजनाओं को तैयार करने में डीईए की सहायता करता है, जिससे रासायनिक आपात स्थितियों के मामले में समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई पहल निम्नानुसार है:

- रसायन उर्वरक उद्योगों सहित सभी रसायन उद्योगों के लिए पर्याप्त अपशिष्ट उपचार प्रणाली और पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली रखना और निर्धारित अपशिष्ट और उत्सर्जन प्रवाह मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कुछ रसायन और उर्वरक उद्योगों सहित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले सभी 17 श्रेणियों के उद्योगों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ रीयल टाइम डेटा कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाइन कंटीन्यूअस अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओसीईएमएस के अलर्ट के आधार पर या ओसीईएमएस के ऑफलाइन हो जाने पर उद्योगों का नियमित निरीक्षण करता है। निरीक्षणों के अवलोकन के आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विद्यमान नियमों के अनुसार चूककर्ता उद्योगों पर कार्रवाई करता है।

विनियमों/अधिसूचनाओं के संदर्भ में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल निम्नानुसार हैं:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां उन उद्योगों पर कार्रवाई करती हैं जो अधिसूचित अपशिष्ट और उत्सर्जन प्रवाह मानकों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं।
- रसायन उद्योगों द्वारा किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय क्षति होने पर, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमान के आधार पर कम्पनियों द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है।

(ब) परिसंकटमय रसायनों के फैलने और रिसाव जैसी घटनाओं से बचने के लिए,

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ मिलकर अन्य संबंधित प्राधिकारियों के समन्वय से परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत आने वाले आइसोलेटिड भंडारण और उद्योगों के संबंध में “रसायन सुरक्षा के लिए एकीकृत मार्गदर्शन फ्रेमवर्क” नाम से दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2021 में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को परिचालित किया गया था।

परिसंकटमय रसायनों के काफी मात्रा में फैलने और रिसाव से पर्यावरण जैसे मिट्टी, सतही जल और भूजल के काफी सीमा तक प्रदूषित होने की संभावना है, ऐसे दूषित स्थलों की आगे जांच की जानी चाहिए ताकि प्रदूषण की सीमा का आकलन किया जा सके और आवश्यक उपचारात्मक कार्य की योजना बनाई जा सके। इस संबंध में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दूषित स्थलों की पहचान, निरीक्षण और आकलन पर संदर्भ दस्तावेज तैयार किया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी भारत में दूषित स्थलों के आकलन और उपचार के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज तैयार किया है।

(ग) सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल इस प्रकार हैं:

- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बायोडीग्रेडेबल और जैव-आधारित रसायनों और पॉलिमरों के विकास में अनुसंधान करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- सरकार ने गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है।
- हिल (इंडिया) लिमिटेड (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम) कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) की प्रौद्योगिकी सहायता से नीम आधारित जैव कीटनाशकों के व्यावसायीकरण पर काम कर रहा है।
- हिल (इंडिया) लिमिटेड भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की प्रौद्योगिकी सहायता से बीटीआई (बैसिलस थुरिंजिएंसिस इजरायलेंसिस) आधारित जैव-लार्विनाशकों के व्यावसायीकरण पर भी काम कर रहा है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायोई3 नीति शुरू की है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देश में औद्योगिक जैव रूपांतरण को बढ़ावा देने और सिंथेटिक जीव विज्ञान और आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उच्च मूल्य वाले विशिष्ट रसायनों, एंजाइमों और बायोपॉलिमरों के संधीरणीय जैव-आधारित उत्पादन को सुनिश्चित करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।

\*\*\*\*\*